न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 100/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2024/290

वादीगण	बनाम प्रतिवादी
1.उम्मेदाराम पुत्र पूराराम 2.खरथाराम पुत्र पूराराम 3.टीकमाराम पुत्र पूराराम 4.शेराराम पुत्र पूराराम जाति जाट निवासी माडपुरा हाल हिम्ताणियों भांभूओ की ढाणी तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा	1.पोकरराम पुत्र पूराराम जाति जाट,निवासी माडपुरा हाल हिम्ताणियों भांभूओ की ढाणी तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा 2.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कल्याणपुर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति

1.श्री लाघूराम चौधरी अधिवक्ता वादीगण

2.श्री सुनील कुमार परिहार अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 अधिवक्ता

3.प्रतिवादी संख्या 02 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक— 28.11.2025

संक्षिप्त में वाद—पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि सरहद मौजा हिम्ताणियो भांभुओ की ढाणी तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 1483/875 व 1485/875 कुल क्षेत्रफल 7.8833 हैक्टयर भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 12.7.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार कल्याणपुर को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे उभय—पक्षकारान अधिवक्ताओ द्वारा विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव मुताबिक वाद डिक्री जारी की जानी उचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा हिम्ताणियो भांभुओ की ढाणी तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 1483/875 व 1485/875 कुल क्षेत्रफल 7.8833 हैक्टयर भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	ख.सं.	क्षेत्रफल (हैक्ट.)	किस्म	लगान	वरंग
1	उम्मेदाराम पुत्र पूराराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. माडपुरा खातेदार	हिम्ताणियो भांभुओ की ढाणी	1483/875	1.5767	बा. अव्वल	2.42	पीला
2	खरथाराम पुत्र पूराराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. माडपुरा खातेदार	हिम्ताणियो भांभुओ की ढाणी	1483/875	1.5766	बा. अव्वल	2.42	हरा
3	टीकमाराम पुत्र पूराराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. माडपुरा खातेदार	हिम्ताणियो भांभुओ की ढाणी	1485/875	1.5767	बा. अव्वल	2.42	नीला
4	शेराराम पुत्र पूराराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. माडपुरा खातेदार	हिम्ताणियो भांभुओ की ढाणी	1485/875	1.5766	बा. अव्वल	2.42	केसरिया
5	पोकरराम पुत्र पूराराम हिस्सा पूर्ण–जाति जाट सा.माडपुरा खातेदार	हिम्ताणियो भांभुओ की ढाणी	1483/875 1485/875	0.3267 1.25	बा. अव्वल बा. अव्वल		लाल

तहसीलदार कल्याणपुर को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामान्तकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे,राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री तथा मुसिल जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें ।

न्यायालय सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

28/11/2025
(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 28/11/2025 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।

28/11/2025
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

राजस्व वाद संख्या 100/2024
उम्मेदाराम बनाम पोकरराम वगैरा

मूलवाद में अंतिम डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :— 62/2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2023/192

वादीगण

1.उम्मेदाराम पुत्र पूराराम
2.खरथाराम पुत्र पूराराम
3.टीकमाराम पुत्र पूराराम
4.शेराराम पुत्र पूराराम
जाति जाट निवासी माडपुरा
हाल हिम्ताणियों भांभूओ की ढाणी
तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादी

1.पोकरराम पुत्र पूराराम
जाति जाट,निवासी माडपुरा हाल हिम्ताणियों भांभूओ की ढाणी तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा
2.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कल्याणपुर

राजस्व वाद अन्तर्गत धाराः—53,188 आर.टी.एक्ट
मुकदमा नम्बर : 100/2024
निर्णय दिनांक :—28.11.2025

वादीगण की ओर से श्री लाधूराम चौघरी अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री सुनील कुमार पारीक अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 02 अनुपस्थित,इस वाद में आज तारीख 28.11.2025 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है** किः—वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 28.11.2025 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से घोषित की जाती है। तहसीलदार कल्याणपुर को आदेश दिए जाते है,कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 28.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

28/11/2025
(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

राजस्व वाद संख्या 100/2024
उम्मेदाराम बनाम पोकरराम वगैरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादीगण	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4...........रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	————
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		5.आदेशिका की तामील	
6.कमिश्नर की फीस	————	6.कमिश्नर की फीस	
7.आंदेशिका की तामिल			
जोड़	———	जोड़	————

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा